



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-36/2019-467

दिनांक : 21/6/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग/ वन्यप्राणी प्रमण्डल,
राँची/ उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर/ उप
निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ पलामू व्याघ्र
परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण, नये ग्रासलैंड निर्माण एवं वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल **₹ 50.764 लाख (पचास लाख छिहत्तर हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-38/2019-48/स्वी0 व0प0
दिनांक-22.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-18/
2020-08/आ0 व0प0 दिनांक 28.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास
तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-61-वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के तहत वित्तीय
वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **₹ 50.764 लाख (पचास लाख
छिहत्तर हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता
है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101610103	41.902
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101610323	8.862
कुल :-		50.764

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) से (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101610103, 19S240601101610323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्रि पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के समय पत्रांक-1254 दिनांक-20.07.2020 अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।
7. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन के अनुरूप किया जायेगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
13. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।
14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।



15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्म्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रतर राशि दी जाय।

(IV) सभी भुगतान मजदूरों/सामग्री को DBT/Bank खातों में ही किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

(V) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(VI) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VII) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VIII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(IX) योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय। वन प्रमंडल पदाधिकारी जाँच कर प्रतिवेदन देंगे।

(X) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(XI) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XII) श्रोत पर (St source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

18. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-36/2019-467 दिनांक-21/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-36/2019-467 दिनांक-21/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	योग
i	ii	iii	iv	viii	ix	x
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग।	1. हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.148	0.417	2.565
		2. कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.148	0.417	2.565
		3. गौतमबुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.148	0.417	2.565
		4. लावालौंग वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	600	2.148	0.417	2.565
		5. उधवा झील पक्षी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	300	1.074	0.209	1.283
हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :-				9.666	1.877	11.543
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची।	पालकोट वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	300	1.074	0.209	1.283
		(ii) नये ग्रासलैंड का विकास (5 हे०)	5	0.545	0.175	0.720
राँची वन्यप्राणी प्रमण्डल का योग :-				1.619	0.384	2.003
3	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर।	दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी:- (i) पर्यावास उन्नयन अंतर्गत बाँस गैबियन में फलदार पौधों का वृक्षारोपण	1670	5.979	1.160	7.139
		(ii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन	70	1.591	0.000	1.591
गज परियोजना, जमशेदपुर का योग :-				7.570	1.160	8.730
4	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	पलामू व्याघ्र आरक्ष:- (i) नये ग्रासलैंड निर्माण (100 हे०)	100	10.897	3.500	14.397
उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :-				10.897	3.500	14.397

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	योग
i	ii	iii	iv	viii	ix	x
5	उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।	(i) नये ग्रासलैंड निर्माण (49.5 हे०)	49.5	5.394	1.732	7.126
		(iii) वन्यप्राणी पर्यावास का विकास उन्नयन (250 हे०)	250	5.682	0.000	5.682
		(iv) नेतरहाट में मैग्नीलिया प्वाईट के परिवेश में मैग्नीलिया प्रजाति के पौधों का बॉस गैबियन के साथ पौधारोपण	300	1.074	0.209	1.283
दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग :-				12.150	1.941	14.091
सकल योग:-				41.902	8.862	50.764

विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 4/यो०बजट-38/2019-48/स्वी० व०प० दिनांक-22.10.2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (क)

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

311.33

कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	सुरक्षा एवं संपोषण		7.30	2272.71	0.00	2272.71	घेरान, कंदूर ट्रेच की मरम्मति, रोपित पौधे एवं बीज से उपजे पौधों की कोडनी निकौनी / कॉपिस / कटबैक / सिंगलिंग
	योग-		7.30	2272.71	0.00	2272.71	

अनुलग्नक-2 (ख)

योजना का नाम- पथट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

- बाँस-गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6" पक्ति से पक्ति की दूरी - 3 मी०
- स्पेसिंग - पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०
- मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 311.33 रूपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	46.70	4.50	51.20	
2	पटवन (रिक्शा/टेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	155.67	5.00	160.67	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	155.67	60.00	215.67	
	योग		1.15	358.03	69.50	427.53	

अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

पलामू ब्याघ्र आरक्ष में 1 हे० वनभूमि में घासस्थलों के विकास एवं रख-रखाव कार्यों हेतु कार्य दर

मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 311.33 रुपये

कम संख्या	कार्य की विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
(A)	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष)					
1	घास के मैदान का रख-रखाव, बीड कटाई/निकाई, कम्पोस्ट एवं गोबर खाद का उपयोग, बीजों का आवश्यकतानुसार रोपण/छिड़काव सुरक्षा	35.00	10896.55	3500.00	14396.55	
	योग	35.00	10896.55	3500.00	14396.55	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची






आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

वार्षिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-36/2019/467

दिनांक - 21-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	27330	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB  03 - मजदूरी	966,600.00 रुपये नौ लाख छठहत्तर हजार छः सौ
2	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	27333	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI  03 - मजदूरी	161,900.00 रुपये एक लाख इकसठ हजार नौ सौ
3	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	27336	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR  03 - मजदूरी	757,000.00 रुपये सात लाख सत्तावन हजार

योग: रुपये अठारह लाख पचयासी हजार पाँच सौ

1,885,500.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. SECY. DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंडित राशि	
4	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	27337	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	रुपये दस लाख नवासी हजार सात सौ	1,089,700.00
5	S 19 24060110161010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	27338	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 03 - मजदूरी	रुपये बारह लाख पंद्रह हजार	1,215,000.00
6	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	27341	HZBFWL016 AWANISH KUMAR CHAUDHARY D.F.O.WILD LIFE HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	रुपये एक लाख सित्यासी हजार सात सौ	187,700.00

योग:

रुपये तीरयालीस लाख सित्योत्तर हजार नौ सौ

2,492,400.00

क्रमिक योग:

4,377,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEW. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय	27343	DRNFWL049 UMESH SAHANI DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अड़तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय	27345	JSRFOR002 SHRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	116,000.00 रुपये एक लाख सोलह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय	27346	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	350,000.00 रुपये तीन लाख पचास हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये अड़तालीस लाख बयासी हजार तीन सौ

504,400.00

क्रमिक योग:

4,882,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110161010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01-वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय	27352	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	194,100.00 रुपये एक लाख चौरानवे हजार एक सौ
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

योग:

रुपये पचास लाख छहत्तर हजार चार सौ

194,100.00

क्रमिक योग:

5,076,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL BCCF DEV JHARKHAND